8 अंग्रेज़ी शासन और भारत के किसान

"लगान नहीं चुकायी तो ज़मीन की नीलामी"

मुग़ल बादशाहो की तरह अंग्रेज़ भी किसानो से अधिक से अधिक लगान वसूल करना चाहते थे। मुग़लो के समय मे अगर कोई किसान लगान नही चुका पाया तो उसके नाम पर बकाया लिखा जाता और आने वाले वर्षो मे ज़ोर-ज़बरदस्ती से वसूल किया जाता था। मगर अंग्रेज़ो ने लगान लेने के लिए एक दूसरी व्यवस्था की।

अगर मान लो कोई किसान या ज़मीदार अपना लगान पूरी तरह से समय पर चुका नही पाया तो अंग्रेज़ सरकार उसकी ज़मीन को नीलाम कर देती थी। नीलाम ज़मीन को और कोई खरीद लेता और उस पैसे से सरकार लगान वसूल कर लेती।

खेती-किसानी पर समय-समय पर कई मुश्किलें आ जाती हैं। बाढ़ या सूखे से फसल नष्ट हो जाती है। कभी बाज़ार मे फसल के भाव बहुत गिर जाते हैं तो किसानो को फसल बेचकर बहुत कम पैसे मिल पाते हैं। ऐसी मुश्किलो मे किसानो को ऊंची लगान के पैसे भरना बहुत अखरता था। पर अंग्रेज़ सरकार आमतौर पर लगान माफ करने को तैयार नही होती थी। यहां तक कि समय की मोहलत भी नही देती थी। अगर किसान तय किए समय तक लगान न भरे तो कचहरी से उसकी ज़मीन की नीलामी का नोटिस निकल जाता था। ज़मीन नीलाम होकर किसान के हाथ से छिन जाती थी।

अंग्रेज़ो के शासन मे सैकड़ो किसानो व ज़मीदारो की ज़मीन नीलाम होने लगी। नीलामी से बचने के लिए वे सेठ, साहूकारो से बड़ी मात्रा मे कर्ज़ा लेने लगे। कर्ज़ा न चुका पाये तो साहूकार भी ज़मीन की नीलामी करवा देते थे और फिर उस ज़मीन को खुद ज़ब्त कर लेते थे।

इस स्थिति मे किसानो पर क्या गुज़री थी, आओ कुछ उदाहरणो से समझे।

अंग्रेज़ सरकार के लगान वसूल करने के तरीके की दो मुख्य बातें क्या थीं?

अंग्रेज़ो के नये नियमो से किसानो को जूझना पड़ा

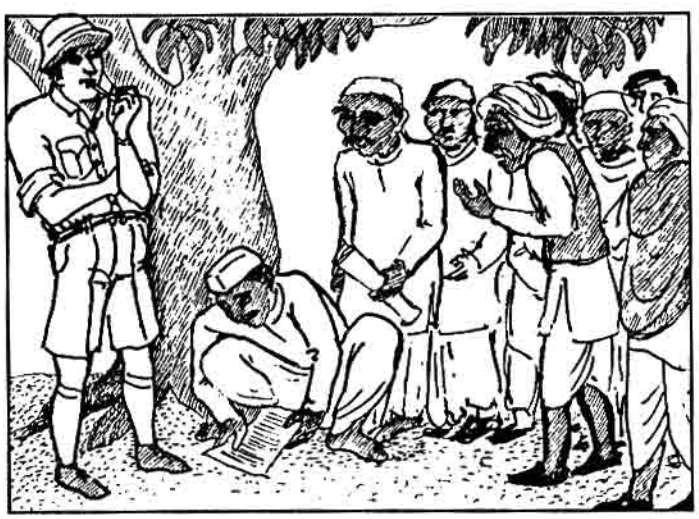

1875 में साहूकारो के खिलाफ मराठा किसानो का विद्रोह

1875 मे महाराष्ट्र के पुणे व अहमदनगर जिलो के किसान अपने गांवो के साहूकारो के खिलाफ बुरी तरह भड़क गए। गांव-गांव मे किसान साहूकारो के घरो को घेर कर उनके बहीखातो की मांग करने लगे। मना करने पर वे साहूकार का घर जला देते। गांव के सब लोगो ने उनका साथ दिया और साहूकारो का नाई, धोबी बंद करवा दिया। कई साहूकार गांव छोड़ कर भाग लिए।

इस तरह भड़कने के पीछे क्या कारण था? एक मराठा किसान कुछ इस प्रकार बताता - "जब देखो तब ये साहूकार कचहरी से कुर्की (नीलामी का नोटिस) ले आते हैं। हम कर्ज़ा नही चुका पाये तो हमारी घर-ज़मीन सब नीलाम करा देते हैं। पुश्तों से ये लोग हमें अपना कर्ज़दार बनाए रखे हैं। जितना भी पैसा दो, कर्ज़ा चुकता ही नहीं। ये अपने बहीखातों मे हमारे नाम झूठा कर्ज़ा चढ़ाए रखते हैं। इनके बहीखाते जलकर राख हो जायें तभी हमारी आफत टलेगी।"

किसानों का कर्ज़ा बढ़ने का एक कारण लगान वसूली का नया नियम था। पर एक दूसरे कारण से भी किसानो पर कर्ज़ा लदता जा रहा था। यह था फसलों का विदेशी व्यापार। 1875 मे मराठा किसानों का साहूकारो के खिलाफ जो विद्रोह हुआ, उसके पीछे भी विदेशी व्यापार का असर था।

विदेशों से व्यापार

दरअसल बात इस तरह थी। 1861 के आसपास कपास की बहुत मांग होने लगी थी और कपास बहुत ऊंचे दामो मे बिकने लगी थी। सब किसानो ने दूसरे अनाज न बो कर कपास उगानी शुरू की। कपास के लिए लागत लगती थी - सो साहूकारो से कर्ज़ा लिया। सन् 1865 के बाद कपास का दाम बहुत गिरने लगा। जो कपास 1864 मे बारह आने प्रति किलो बिक रही थी अब छह आने प्रति किलो बिकने लगी। किसानो का बहुत घाटा हुआ। इस पर से सरकार का लगान भी चुकाना पड़ा। अब किसानो को और कर्ज़ा लेना पड़ा। किसान इधर साहूकारो की जकड़ मे फंसते जा रहे थे तो उधर साहूकार मालामाल हो रहे थे।

कपास के दाम बढ़ने-घटने का कारण यह था - इंग्लैंड मे बहुत कपड़ा मिले थी। उनके लिए कपास संयुक्त राज्य अमेरीका से आती थी। सन् 1861 मे अमेरीका में युद्ध छिड़ गया और वहां से कपास आनी बंद हो गयी। अब इंग्लैंड के मिल मालिक भारत से कपास खरीदने लगे। कपास की मांग बढ़ी और उसके साथ-साथ कीमत भी। कपास का दाम 3 आने किलो से 12 आने हो गया।

लेकिन सन् 1865 में अमेरीका में युद्ध समाप्त हुआ और वहां से कपास फिर से इंग्लैंड जाने लगी। अब भारत की कपास की मांग गिरने लगी और उसका दाम भी गिरने लगा। ऐसे मे किसानो की आमदानी घटने लगी। लगान चुकाना मुश्किल हो गया। कर्ज़ा बढ़ गया। उन्ही दिनो साहूकारो के खिलाफ मराठा किसानो का विद्रोह भड़का।

कितनी दूर के देशो में हुई घटनाओं से यहां के किसानो को भारी लाभ भी हुआ और फिर नुक्सान भी। कपास ही नही बल्कि भारत से गेहूं, शक्कर, नील, पटसन, चाय आदि चीज़ दूर देशो में बिकने लगी थी।

कपास तोल कर विदेश भेजी जायेगी

वहां किसी भी कारण से दाम बढ़ते या घटते तो यहां के किसानो पर असर पड़ता।

मराठा किसानो ने साहूकारों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया?
कपास के व्यापार से मराठा किसानो का कर्ज़ा क्यों बढ़ा?

लगान नहीं चुकाएंगे

मुग़लो के समय में जब लगान का बोझ बहुत बढ़ता था तो किसान गांव छोड़ कर चले जाते थे।

शुरू में अंग्रेज़ो के समय में भी वे लगान के बोझ से बचने का यही तरीका अपनाते रहे। पर, धीरे-धीरे आबादी बढ़ी और खाली ज़मीन की कमी होने लगी।

इस हालत में किसानो के लिए अपनी ज़मीन छोड़ कर जाना संभव नही था।

तब मुसीबत के समय में किसान खुल्लम खुल्ला अंग्रेज़ सरकार को लगान देने से इनकार करने लगे। भारत के किसानो ने लगान माफी के लिए कई आंदोलन किए। इनमें 1928 में गुजरात राज्य की बाड़दौली तहसील में हुआ आंदोलन बहुत प्रसिद्ध है।

बाड़दौली का किसान आंदोलन

तीस साल पहले सरकार ने बाड़दौली के किसानो का लगान तय किया था। अब 1926 में सरकार को फिर से तय करना था कि अगले 30 सालो के लिए लगान उतना ही रखना है, या बढ़ाना है तो कितना?

सरकार ने तय किया कि लगान 30 प्रतिशत बढ़ा दिया जाए।

यह बात जान कर बाड़दौली के किसान भड़क उठे। उन्होने कहा, "लगान में इतनी बढ़ोत्तरी करने का कोई आधार ही नही है। सरकार बिना कारण लगान बढ़ा रही है। पूरे मामले की ठीक से छानबीन नही की गई है - और यूं ही लगान बढ़ा दी। हम नही चुकाएंगे।"

"हां, बिल्कुल नही चुकाएंगे। अगर सरकार मानती है तो उतना लगान दे देगे जितना देते आए हैं। नही मानती तो एक धेला भी नहीं देगे।"

सरकार नही मानी और बढ़ा हुआ लगान वसूल करने पर तुली रही।

किसानो ने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया। उन्होने कांग्रेस पार्टी के वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी की सहायता भी ली। उन दिनो कांग्रेस पार्टी बन चुकी थी और देश की स्वतंत्रता के लिए काम करने लगी थी। कांग्रेस के लोग किसानो का साथ देने के लिए बाड़दौली भी आए।

ज़ब्ती और नीलामी

लगान देने से इनकार करने पर सरकार किसानो की फसल, ज़मीन, बर्तन, ज़ेवर, जानवर - कुछ भी ज़ब्त कर लेती थी और उसे बेच कर लगान वसूल करती थी। ज़ब्ती के डर से कई किसान चोरी छिपे लगान चुकाने की कोशिश भी करते थे। अगर कोई किसान लगान देने को राज़ी हो जाता तो बाकी किसान उस के साथ उठना, बैठना, खाना-पीना सब व्यवहार छोड़ देते और इस तरह उस पर इतना दबाव डालते कि वह भी सबकी तरह लगान इनकार करने मे शामिल हो जाता।

बाड़दौली के आंदोलनकारी किसानो ने ज़ब्ती से बचने के कई उपाय किए। कई गांव के किसान अपने घर के पीतल के बर्तन, ज़ेवर आदि दूसरी जगह रह रहे रिश्तेदारो के घर छुपा आए। गांव के लड़के पेड़ो पर छुप कर निगरानी रखने लगे। जैसे ही सरकारी आदमी आते दिखते वे बिगुल बजा देते। गांव वालो को खबर

हो जाती। कई गांवों में ऐसा किया गया कि बिगुल सुनते ही सब लोग अपने गाय, बैल, भैंस खुले छोड़ देते और अपने-अपने घरों पर ताला डाल देते। ऐसे में सरकारी आदमी पहचान ही नहीं पाते कि कौन से जानवर किस किसान के हैं। ज़ब्ती करने में उन्हें बड़ी कठिनाई जाती।

गांव वाले सरकारी आदमियों को खाना-पानी-आराम करने की जगह - कुछ भी नहीं देते थे। अप्रैल-मई की चिलचिलाती धूप में अधिकारी परेशान हो कर चले जाते।

चाहे पुलिस घर तोड़ दे हम लगान नहीं चुकायेंगे

यदि कहीं उन्होंने किसानों के जानवर ज़ब्त कर लिए तो किसान रातों रात अपने जानवर छुड़ा लाते। सरकार लगान न चुकाने वाले किसानों की ज़मीन ज़ब्त कर के नीलाम कर देती थी। तो, किसानों ने नीलाम की गई अपनी ज़मीन वापस पाने का रास्ता भी निकाल लिया। अगर गांव का कोई आदमी उनकी ज़मीन खरीदता तो किसान मिल कर उस पर इतना दबाव डालते थे कि वह आदमी ज़मीन लौटाने पर मज़बूर हो जाता था। यदि बाहर के किसी आदमी ने उनकी ज़मीन खरीदी और वहां खेती करने आया तो गांव के लोग मिल कर उसे भगा देते थे।

इस तरह कई किसान ज़ब्ती के नुक्सान से अपने को बचा कर सरकार का विरोध कर पाए। फिर भी बहुत से किसानों को काफी नुक्सान सहना पड़ा। पुलिस के दल और लगान अधिकारी उनके घरों के ताले तोड़ कर अंदर घुस जाते थे, तोड़-फोड़ करते थे और बर्तन, कपड़े, सामान ज़ब्त कर के ले जाते थे। ज़ब्त किया हुआ सामान और ज़मीन निश्चित वापस मिल जाएगी ऐसा भी कोई भरोसा नहीं था। बहुत से किसानों को वाकई में अपनी नीलाम ज़मीन वापस नहीं मिली। फिर भी बहुत हिम्मत और साहस के साथ किसानों ने लगान देने से इनकार किया और खुल्लम खुल्ला सरकार का सामना किया। वे पुलिस, फौज, जेल, थाने, किसी बात से नहीं डरे।

वे कहते थे, "फौज आई तो क्या लगान ले लेगी? क्या गोरा हमारी ज़मीन को जहाज़ में लाद के विलायत ले जाएगा? ले जाए ले जा सके तो। देखें तो सही!"

किसानों के आंदोलन को पढ़े-लिखे लोगों, मिल मज़दूरों आदि अनेक लोगों का समर्थन मिला। आखिर सरकार को झुकना पड़ा और लगान में सिर्फ 6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई। बाड़दौली आंदोलन को देखते हुए सरकार ने दूसरी ज़गहों पर भी लगान बढ़ाने की अपनी योजना छोड़ दी। बाड़दौली के किसानों ने अंग्रेज़ सरकार को झुका दिया। इस बात से देश में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। गांधीजी ने कहा कि बाड़दौली जैसे आंदोलनों से देश को स्वतंत्र करने में सफलता मिलेगी।

बाड़दौली के किसानों ने लगान देने से क्यों मना किया?
बाड़दौली के आंदोलनकारी किसानों को क्या नुक्सान उठाना पड़ा?
किसानों ने ज़ब्ती के नुक्सान से बचने की क्या कोशिशें कीं?

ज़मींदार और किसान

"ज़मीन का मालिक कौन"

शुरू में अंग्रेज़ शासकों को एक सवाल बहुत परेशान करता था। वो सोचते, "भारत में लगान किस से वसूल करें? जो भी हो, सरकार सीधे उसी आदमी से लगान लेगी जो ज़मीन का असली मालिक है और अपनी ज़मीन पर खेती करता या करवाता है।"

तुम सोचोगे कि इसमें दिक्कत क्या थी? अगर तुम भोगपतियों और मुग़ल काल के गांवों की बातें याद करो तो तुम्हें दिक्कत समझ में आएगी। तुम जानते हो कि ज़मींदार किसानों से लगान इकट्ठा करते थे और सरकार को चुकाते थे।

पर क्या वे किसी भी किसान को ज़मीन से हटा सकते थे?
क्या वे किसान से उसकी ज़मीन पर बटाई वसूल कर सकते थे?
क्या वे किसान की ज़मीन के मालिक थे?

तुम जानते हो कि मुग़लों के समय तक ज़मीन का मालिक तो किसान ही था। पर अंग्रेज़ों को कई बार ऐसा लगा कि ज़मींदार सरकार को लगान देते हैं इसलिए शायद वे ही ज़मीन के मालिक हैं। अंग्रेज़ अधिकारियों को यह भी लगा कि ज़मींदार ताकतवर लोग हैं। अगर उनका साथ मिले तो भारत में अंग्रेज़ शासन मजबूत होगा। वे यह भी समझ रहे थे कि सैकड़ों-लाखों अलग-अलग किसानों से लगान इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम होगा।

यह सब सोच कर अंग्रेज़ों ने तय किया कि वे ज़मींदारों को ही ज़मीन का मालिक मानेंगे और उन्हीं से लगान वसूल करेंगे। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में विशेष रूप से लागू हुई।

अरे यह क्या हुआ? लगान तो मुग़लों के समय में भी ज़मींदारों से ही ली जाती थी, पर उन्हें ज़मीन का मालिक मानना क्यों ज़रूरी था? अगर हम किसी अंग्रेज़ अधिकारी से यह पूछते तो वह शायद यह जवाब देता, "हमारा नियम है कि कोई व्यक्ति समय पर पूरा लगान नहीं चुकाए तो हम उसकी ज़मीन नीलाम कर के लगान वसूल करते हैं। अगर हम ज़मींदार को ज़मीन का मालिक नहीं मानें तो लगान न चुकाने पर किसकी ज़मीन नीलाम करेंगे? जितनी ज़मीन पर लगान देना उसकी ज़िम्मेदारी है, उतनी ज़मीन का मालिक वो ज़मींदार नहीं होगा तो और कौन होगा?"

इस तरह अंग्रेज़ शासन के नए नियम कानून लागू हुए और ज़मींदार ज़मीन के मालिक बनाए गए। अब किसान ज़मींदारों के बटाईदार बन के रह गए। किसानों का अपनी ही ज़मीन पर अब कोई हक नहीं रहा।

अंग्रेजों की सोच के अनुसार जो ज़मीन का लगान चुकाता है वो ज़मीन का क्या होता है?
अंग्रेज़ों की यह सोच मुग़लों के समय की व्यवस्था से कैसे फर्क थी?
तुम्हारे विचार में ज़मींदार को ज़मीन का मालिक मानने से ज़मींदारों और किसानों पर क्या असर पड़ा होगा?

किसान की ज़मीन और ज़मींदार का हक

ज़मींदारों ने ज़मीन के मालिक होने के नाते अपने नए अधिकारों का खूब फायदा उठाया। उन दिनों भारत

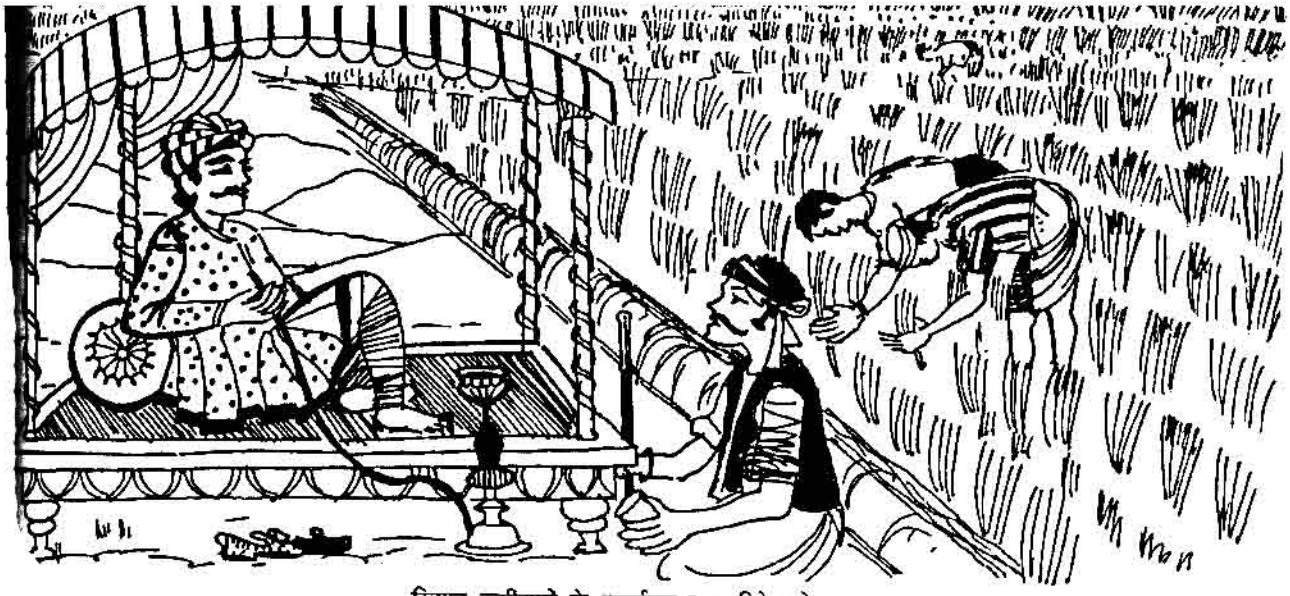

किसान ज़मीजारों के बटाईदार बना दिये गये

में आबादी भी बढ़ रही थी और ज़मीन की कमी महसूस होने लगी थी। अब परेशान किसान गांव छोड़ कर कहीं जा भी नहीं सकते थे क्योंकि किसानी के लिए ज़मीन कहां से मिलती? किसानों की मज़बूरी का भी ज़मींदारों ने खूब फायदा उठाया। आओ, देखें कैसे।

अवध का रहने वाला एक गरीब किसान गयादीन था। वह अपनी गाय बेचने जा रहा था।

क्यों?

गयादीन कहता : "ज़मींदार हर साल ज़्यादा बटाई मांग रहा है। हर साल बटाई का हिस्सा बढ़ा देता है। मैं कैसे चुकाऊं? मैं नहीं चुका पाया इसलिए ज़मींदार ने कचहरी में केस कर दिया। मुझे गाय बेच कर ज़मींदार को पैसे चुकाने हैं।"

पैसे चुकाने पर ज़मींदार ने गयादीन को उसकी ज़मीन जोतने दी। पर एक साल बाद गयादीन अपनी 10 साल की बेटी की शादी एक बूढ़े आदमी से कर रहा था।

क्यों?

गयादीन बताता : "ज़मींदार कहता है कि इस साल ज़मीन तभी जोतने दूंगा जब पांच सौ रुपए का नज़राना दोगे। नज़राना नहीं दे सकते तो ज़मीन से बेदखल कर दूंगा। मैं क्या करूं? इस बूढ़े से मुझे बेटी के पांच सौ रुपए मिले हैं। ये रुपए ज़मींदार को दूंगा और खेत जोतूंगा। नहीं तो खाऊंगा क्या?"

गयादीन की ज़मीन पर ज़मींदार बटाई वसूल कर रहा था। गयादीन उसे मना क्यों नहीं कर सका? ज़मींदार ने गयादीन से किस बात का नज़राना वसूल किया?

गयादीन जैसे लाखों किसानों की हालत दयनीय हो गई थी। जिस ज़मीन के वे मालिक थे उस ज़मीन को जोतने भर के लिए उन्हें अपनी गाढ़ी कमाई में से ज़मींदारों की जेबें गरम करनी पड़ती थीं। ऐसा नहीं था कि ज़मींदार उनसे सिर्फ उतनी लगान लेते थे जितनी सरकार को चुकानी थी। सरकारी लगान से काफी ज़्यादा रकम वे किसानों से वसूल करने लगे थे। किसान को इसकी रसीद देने का तो सवाल ही नहीं था।

यह अतिरिक्त रकम ज़मींदार अपनी बटाई का हिस्सा मानते थे और मालिक होने के नाते वे यह अधिकार महसूस करने लगे थे कि जब चाहें बटाई की दर

बढ़ाएं, जिसे चाहे ज़मीन जोतने को दे, जिसे चाहे ज़मीन से बेदखल कर दे।

ज़मींदार की ज़मीन और किसान की सेवा

किसानो की ज़मीन के तो वे मालिक बन ही गए थे पर ज़मीदारो की अपनी खुद की ज़मीनें भी थी। इन्हें खुदकाश्त या सीर की ज़मीन कहा जाता था। अपनी खुदकाश्त ज़मीनों को वे मज़दूर लगा के या बटाई पर दे के जुतवाते थे। पर वे अक्सर इसी कोशिश मे रहते थे कि अपनी ज़मीन पर भी मज़दूरी और बटाई देने का नुक्सान न उठाना पड़े। "क्यों न अपनी ज़मींदारी मे आने वाले किसानो से अपनी खुदकाश्त ज़मीन भी जुतवाई जाए?" यह विचार ज़मींदारो के मन मे आते देर न लगी और किसानो को ज़मींदार की ज़मीन पर बेगार काम करने के लिए मज़बूर होना पड़ा। अगर कोई मना कर दे तो ज़मींदार के सिपाही पीट पीट के उसे बेगार करवाने ले जाते। ज़मींदारो का ऐसा दबदबा था कि वे अपने सिपाहियो से रास्ते चलते किसी भी किसान को पकड़वा के बुला लेते और अपने खेतों पर काम करवा लेते। ज़मींदार के खेतो मे बेगार करने के कारण किसान अपनी ज़मीन पर ठीक से खेती भी नही कर पाते थे।

ज़मींदारी के बोझ के कारण किसान अपनी ज़मीन पर खेती सुधारने का उत्साह भी जुटा नही पाते थे। 1878 मे एक सरकारी रपट मे लिखा था कि किसान अपनी ज़मीन पर न कुंआ खोदने और सिंचाई करने की कोशिश करते हैं, न मेढ़ें बनाने या नाली निकालने और खाद डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके सिर पर ज़मीन से बेदखल किए जाने का डर हमेशा मंडराता रहता है। अगर वे खेती सुधारें तो ज़मींदार झट बटाई बढ़ा देगा। ज़मींदार भी किसान को सुधार करने से रोकते हैं क्योंकि उन्हें यह डर रहता है कि किसान उस ज़मीन पर अपना हक जताने लगेगे।

खुदकाश्त ज़मीन किसे कहते थे?
किसानों को किस काम के लिए बेगार करना पड़ता था?
किसान की ज़मीन पर खेती सुधारने की बात किसान और ज़मींदार दोनों ही क्यों नहीं चाहते थे?

अनगिनत वसूलियां

ज़मीन को लेकर ये सारी समस्याएं तो एक तरफ थी ही। पर ज़मींदार बात-बात पर किसानों से पैसे भी वसूल करते थे। कमिशनर साहब का दौरा हुआ तो किसानों से 'कमिशनरावन' नाम का चंदा ज़बरदस्ती वसूल किया जाता था। इसी तरह ज़मींदार के हाथियो के लिए 'हाथियावन' चंदा, ज़मींदार मोटर खरीद रहे हैं तो 'मोटरावन' चंदा, घोड़े खरीद रहे हैं तो 'घोड़ावन' चंदा। किसानो से अनगिनत ऐसे चंदे वसूल किए जाते थे। यहां तक कि एक बार एक ठकुराइन का फोड़ा पक गया तो उन्होंने झाड़ फूंक और इलाज मे काफी पैसा खर्च किया। यह पैसा भी उनके किसानो से "पकावन" चंदे के रूप मे वसूल किया गया। इनके अलावा किसानो को नियमित रूप से ज़मींदार के घर पर मुफ्त घी, दूध, सब्ज़ी, गुड़, भूसा, गोबर के उपले जैसी कई चीज़ें तो देनी ही पड़ती थी।

ऐसी स्थिति भारत के कई प्रांतो मे हो गयी थी। बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश मे बड़े-बड़े ज़मींदार थे। हरेक ज़मींदार दर्ज़नो व सैंकड़ो गांव के मालिक थे। इन ज़मींदारो की ज़्यादतियो के खिलाफ किसान बराबर विरोध करते रहे।

अवध के किसानों का विद्रोह

उदाहरण के लिए : सन् 1920-22 मे उत्तर प्रदेश मे अवध के किसानो ने बड़े-बड़े जुलूस निकाले और ज़मींदारो की वसूलियो का विरोध किया। कई

अत्याचारी ज़मीदारों का नाई-धोबी बंद किया और उन्हें गांव से भगा दिया। ज़मीन से बटाईदारों को हटाने व बटाई बढ़ाने की कोशिश करने वाले ज़मीदारों की ज़मीन जोतने से इनकार किया।

किसानों ने अपनी "किसान सभाएं" भी बनाईं ताकि अपने संघर्ष को आगे बढ़ा सकें। बाबा राम चन्द्र, झिंगूरी सिंह, सूरज प्रसाद, मदारी पासी उत्तर प्रदेश के किसानों के मशहूर नेता हुए। अंग्रेज़ सरकार ने आंदोलन को कुचलने में ज़मीदारों की पूरी सहायता की। फिर भी किसानों के प्रभावशाली आंदोलन को देखते हुए अंग्रेज़ सरकार को बटाईदारों के हित में कानून बनाने पड़े।

आंध्र प्रदेश में तेलंगाना आंदोलन 1946-50

1946-47 की बात है। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना प्रांत में एक गांव था बिश्नुपुर। बिश्नुपुर के ज़मीदार के पास 40,000 एकड़ ज़मीन थी। उसने एक ग़रीब धोबन की ज़मीन को हथियाने की कोशिश की। इसके खिलाफ किसानों का विद्रोह शुरू हुआ। कुछ ही दिनों में यह आंदोलन चारों ओर फैल गया। इस आंदोलन का नेतृत्व कम्यूनिस्ट पार्टी ने किया। किसानों ने बंदूकें खरीदकर अपनी सेना बनाई और लगभग 3,000 गांवों से अधिकारियों व ज़मीदारों को भगाकर उनकी ज़मीन हथिया ली और किसानों व मज़दूरों में बांट दी। किसानों ने गांव में अपना शासन शुरू कर दिया। इन गांवों में बेगार बंद हुई, मज़दूरों की मज़दूरी बढ़ाई गई, जिस ज़मीन से किसानों को निकाला गया था, वह उन्हें लौटाई गई। यह नियम बना कि किसी को 100 एकड़ से अधिक असिंचित या 10 एकड़ से अधिक सिंचित ज़मीन रखने का अधिकार नहीं है। अगर इससे अधिक किसी के पास ज़मीन थी तो उसे गरीब किसानों के बीच बांटा गया।

ज़मीदारों से लड़ने की तैयारी करती तेलंगाना की औरतें

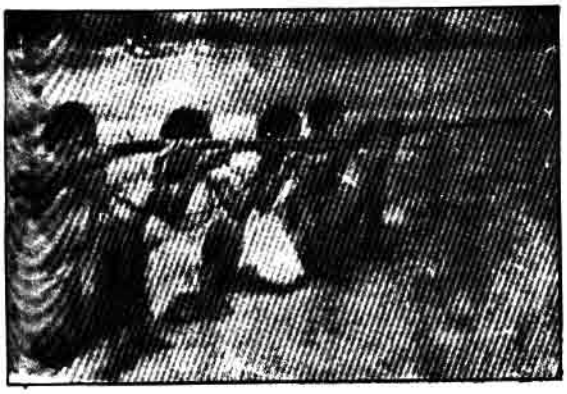

इस बीच 1947 में भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने किसानों से वादा किया कि वह उनके हित में कानून बनाएगी, अतः किसान अपना आंदोलन बंद कर दें। पुलिस के सहारे आंदोलन दबाया भी गया।

अवध के किसान क्या चाहते थे?
तेलंगाना के किसानों ने अपने शासन में किसानों के हित में क्या-क्या कदम उठाए?
ताकतवर होते हुए भी अवध और तेलंगाना के ज़मींदार किसानों के सामने कमज़ोर कैसे पड़ गए?

स्वतंत्रता के बाद कानून और किसान

अंग्रेज़ों के समय हुए किसान आंदोलनों के कारण किसानों की समस्याएं, उनकी मांगे और उनकी आशाएं उभर कर आईं। यह स्पष्ट था कि किसान चाहते हैं कि सरकारी लगान कम हो, साहूकारों के चंगुल से राहत मिले और ज़मीदारों का दबदबा खत्म हो। यह मांग भी उठने लगी थी कि ज़मीन जोतने वाले की अपनी होनी चाहिए।

स्वतंत्रता के बाद किसानों से ली जाने वाली लगान बहुत कम की गई। किसानों की कर्ज़ की ज़रूरत पूरी करने के लिए सरकारी बैंक खोले गए। पर सबसे बड़ी बात यह हुई कि ज़मीदारी प्रथा खत्म की गई।

ज़मीदारी प्रथा को खत्म करने का कानून 1950 में बना। यह तय हुआ कि हरेक किसान से सरकार

सीधे लगान वसूल करेगी। ज़मींदारों के ज़रिए लगान वसूली नही होगी।

यह भी तय किया गया कि ज़मींदार सिर्फ अपनी खुद की ज़मीन के मालिक रहेंगे। किसानों की ज़मीन का मालिक होने का हक अब उन्हें नहीं होगा। किसानों को उनकी अपनी ज़मीन का मालिक बनाया जाएगा।

पर ज़मींदारों को यह बात कैसे भा सकती थी? उन्होंने दावा किया कि किसानों की ज़मीन से उनका "हक" छीनने के बदले में उन्हें मुआवज़ा मिलना चाहिए।

क्या तुम्हें ज़मींदारों की यह मांग उचित और न्यायपूर्ण लगती है?

उस समय सरकार ने तय किया कि ज़मींदारों को मुआवज़ा दिया जाएगा। मुआवज़ा दे कर सरकार ने ज़मींदारों से किसानों की ज़मीन ले ली ताकि किसानों को उनकी ज़मीन दी जा सके। पर ज़मींदारों को मुआवज़ा देने में सरकार को काफी पैसा खर्च करना पड़ा था। इसलिए यह नियम बनाया गया कि किसानों को उनकी ज़मीन का मालिक तभी बनाया जाएगा जब वे अपनी ज़मीन की कुछ कीमत चुकाएंगे। यह बात बहुत लोगों को ठीक नही लगी। क्योंकि जो किसान कीमत चुका पाए वे अपनी ज़मीन के मालिक बने और उनके सिर से ज़मींदारी का बोझ हल्का हुआ। लेकिन लाखों ग़रीब किसान यह कीमत नही चुका पाए और पहले की तरह भूमिहीन बटाईदार और मज़दूर बने रहे और बड़े किसानों व ज़मींदारों के खेतों पर काम करते रहे।

यह ज़रूर है कि स्वतंत्रता के बाद बटाईदारों के हितों की रक्षा के लिए भी कानून बने ताकि उनसे अनुचित बटाई नही ली जाए, और उन्हें बिना कारण ज़मीन से नही हटाया जाए। मज़दूरों के हित में भी कुछ कानून बने। पर बड़े किसानों ने इन कानूनों से बचने के कई उपाय भी ढूंढ लिए।

तुम्हारे इलाके में बटाईदारों और खेतिहर मज़दूरों के हित में क्या कानून लागू हुए हैं?

आज स्थिति यह है कि भारत में सभी जोतने वाले ज़मीन के मालिक नही हैं। काश्त करने वालों को ज़मीन का हक दिलवाने के लिए स्वतंत्रता के बाद भी आंदोलन हो रहे हैं।

तुम अपने बड़े बूढ़ों से पता करो कि तुम्हारा गांव किस की ज़मींदारी या मालगुज़ारी में आता था? मालगुज़ार का तुम्हारे गांव के किसानों से कैसा रिश्ता था?
ज़मींदारी/मालगुज़ारी खत्म होने का कानून बनने के बाद तुम्हारे इलाके में क्या बदलाव आए हैं? तुम्हारे गांव में कितने भूमिहीन किसान व खेतिहर मज़दूर हैं? उनके पास ज़मीन क्यों नहीं है?

अभ्यास के प्रश्न

1. मुग़ल काल के किसानों और अंग्रेज़ों के समय के किसानों की स्थिति में तुम्हें क्या फर्क नज़र आते हैं?
2. क) अमेरीका में 1861 से 1865 तक हुए युद्ध ने मराठा किसानों पर क्या असर डाला - समझाओ।
   ख) क्या आजकल भी फसल के दाम बहुत ज़्यादा गिर जाने से किसान चौपट हो जाता है? समझाओ।
3. अंग्रेज़ों के समय में आबादी बढ़ने से किसानों पर क्या असर पड़ा?
   क्या यह असर आज भी देखा जा सकता है?
4. क) तुमने किसानों को साहूकार, सरकार, ज़मींदार के खिलाफ विरोध करने के क्या-क्या तरीके अपनाते देखा?
   ख) आजकल किसान अपने हितों के लिए कैसे लड़ते हैं?